न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 68/2020
3. उनवान : सरकार जरिये डॉ. आभा जैन, जिला रसद अधिकारी
   बनाम
   श्री मानसिंह पुत्र श्री मालाराम, ग्राम पंचायत द्वारिकापुर, तह. कोटपूतली, जिला जयपुर।
4. निर्णय दिनांक : 10.10.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री समर सिंह यादव अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी जिला रसद अधिकारी, जयपुर ग्रामीण, डॉ. आभा जैन द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 09.11.2011 को अवैध डीजल के क्रय विक्रय की शिकायत की जांच हेतु अप्रार्थी की दुकान पर बोगस ग्राहक बनाकर भेजा। दुकानदार ने 300 रुपये में 7 लीटर डीजल व हस्तलिखित बिल दे दिया। इसके बाद मय सबूत 300 रुपये व बिल के दुकानदार को रंगे हाथों पकडा। दुकान की जांच करने पर अवैध 5 प्लास्टिक ड्रमों मय 1060 लीटर डीजल, एक कटा हुआ लोहे का ड्रम, 2 लोहे की नाप, दो प्लास्टिक व 1 लोहे की कीप, एक प्लास्टिक का पाईप, एक प्लास्टिक की पीपी तथा 100 रुपये के तीन नोट को जब्त किये गये। अप्रार्थी द्वारा अवैध रुप से डीजल बेचा जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा डीजल की खरीद व संग्रहण के किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं पाये गये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 02.01.2012 को अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री समर सिंह यादव ने उपस्थिती दी। अप्रार्थी/अभिभाषक द्वारा कोई जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। प्रकरण लम्बे समय तक बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी। परन्तु अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त वस्तुओं को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 10.10.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 09.11.2011 को जब्त सामान की सहायता से अवैध डीजल बेचा जा रहा था। अप्रार्थी ने डीजल की खरीद व संग्रहण के किसी प्रकार के दस्तावेज पेश नहीं किये। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। जब्त सामान से अप्रार्थी का अवैध कारोबार करना पुष्ट होता है। अतः उक्त कृत्य राजस्थान क्रय विक्रय एवं भण्डारण कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत राजस्थान पेट्रोलियम प्रोडक्ट (अनुज्ञापन एवं नियन्त्रण) आदेश 1990 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा जब्त 5 प्लास्टिक ड्रम मय 1057 लीटर डीजल (नमूने लेने के पश्चात), एक कटा हुआ लोहे का ड्रम, 2 लोहे की नाप, दो प्लास्टिक व 1 लोहे की कीप, एक प्लास्टिक का पाईप, एक प्लास्टिक की पीपी तथा 100 रुपये के तीन नोट को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर, ग्रामीण को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर